

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

- | | |
|---------|---|
| 2/26 | <p>पत्रावली पेश हुई अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवाही बाहर दौरे में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अभिभाषकगण कन्डोलेंस पर हैं। अतः सबली साहिक कार्यवाही के दिनांक 27/2/26 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">३</p> |
| 27/2/26 | <p>पत्रावली पत्रावली पेश हुई अपायी बावजूद सूचना अनु०। अपायीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लानी जाती है पत्रावली वान्ते बहम दि. 6/3/2026 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">५</p> |
| 6/3/26 | <p>पेशोका सरका उप०। बहम एक पक्षीय सूनी गई पत्रावली वान्ते अपेश दि. 11/3/2026 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">५</p> |
| 17/3/26 | <p>पत्रावली वान्ते आदेश पेश हुई / पेशोका सरका उप०। ज.पत्र जर्नीकरीकाट किया जाता है। विस्तृत निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। निर्णय की एक प्रति तहसीलदाट तालिका को पालगान भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से फल हो बाद तामील तफ्तील नियमावुसाट दारिखल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">५</p> |

न्यायालय उपस्रण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)

पीपसीन अधिकारी श्रीमती मनरवी नरेश R.A.S

मिसल नं०

313/प्रा०पत्र/2025

तारीख दायरा

03.02.2025

तारीख फैसला

17.03.2026

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

1. लाइबाई पत्नि नाथूलाल हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी अकतासा
2. मेनकाबाई पत्नि विजयकुमार हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी अकतासा

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

अभिभाषक प्रार्थी - पेरोकार सरकार

अभिभाषक अप्रार्थीगण-

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम अकतासा पटवार मण्डल अकतासा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 1648/1376 रकबा 1.8697 हैक्टे किस्म नहरी 2 भूमि खातेदार लाइबाई पत्नि नाथूलाल हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी अकतासा व मेनकाबाई पत्नि विजयकुमार हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अकतासा अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम अकतासा की खसरा संख्या 1648/1376 रकबा 1.8697 हैक्टे. किस्म नहरी 2 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (दबा) संचालित किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विरुद्ध हैं। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य मे सम्भव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जयें तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्ते भंग करने के कारण ग्राम अकतासा की आराजी खसरा संख्या 1648/1376 रकबा 1.8697 हैक्टे किस्म नहरी 2 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावें तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेरोकार सरकार एकपक्षीय सूनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया जाकर कार्य व शर्ते भंग करने के कारण ग्राम अकतासा की आराजी खसरा संख्या 1648/1376

Vy

रकबा 1.8697 हैक्टे किस्म नहरी 2 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सूजने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1648/1376 रकबा 1.8697 हैक्टे किस्म नहरी 2 ग्राम अकतासा पटवार मण्डल अकतासा तहसील तालेडा पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य कर खातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया यथा उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा